



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-1, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-1, MAHARASHTRA

2<sup>nd</sup> मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरान लाईन्स, 101, महर्षी करवें रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र. - (022) 22039680, फॅक्स - 22086984.  
ई-मेल : [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाइट : <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No. - (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail : [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), Website : <http://agmaha.cag.gov.in>

No.PA-I/Ch.5/61272011/GR/Uttar Pradesh/61137942

Date: 18/07/2023

To,

✓ Sr. Accounts Officer,  
I/c EDP Support Section.

Subject: **Uploading of Govt. of Uttar Pradesh Orders on this office website.**

Sir,

This office has received Govt. of **Uttar Pradesh** Orders regarding Grant of Dearness Relief @ 42% w.e.f. 01/01/202 to the State Government Pensioners/ Family pensioners. (Existing rate from 38% to 42%).

It is therefore requested to upload the said Orders on our office website i.e.

**[cag.gov.in/ae/mumbai/en](http://cag.gov.in/ae/mumbai/en)**

I am to forward herewith a copy of Government of Uttar Pradesh, Finance (General) **Section-3, OM No.10/2023/1/319051/2023/File No. 10-22099/1401/2020 dated 19/05/2023.**

You are requested to do the needful at the earliest and inform this section accordingly.

Yours faithfully,

*[Signature]*

Sr. Accounts Officer/PA-I

✓ Encl : As stated.

85- not pgs



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 गे मॉडर्न, प्रिन्सिपल भवन, न्यू मरिन लाइन्स, 101, महाराष्ट्र करवे रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020 दूरभाष क्र. - (022) 22039680, फॅक्स - 22086984  
ई-मेल : [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाइट : <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Prasthitha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharashtra Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel No. - (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail : [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), Website : <http://agmaha.cag.gov.in>

पंजीकृत डाक

Date: 18/07/2023

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61272011/Uttar Pradesh/Ch.5/जा.सं. 61137942

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,  
लेखा-को भवन, ए विंग,  
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,  
मुंबई-400 051.

**विषय— Grant of Dearness Relief @42% w.e.f. 01/01/2023 to State Government Pensioners/Family pensioners. (Enhanced from 38% to 42%).**

**संदर्भ —Govt. of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3, OM No.10/2022/1/319051/2023/ File No. 10-22099/1401/2020 dated 19/05/2023.**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Uttar Pradesh, Prayagraj** के पत्र संख्या पेंशन विविध/11727 दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है।
3. सभी **Uttar Pradesh** सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शावें।
4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. [cag.gov.in/ae/mumbai/en](http://cag.gov.in/ae/mumbai/en)**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

*S. S. Chandra*

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61272011/ Uttar Pradesh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5<sup>th</sup> Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya - 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , **Uttar Pradesh, Prayagraj** के पत्र संख्या पेंशन विविध/11727 दिनांक 06/06/2023.

Farmer-2007  
EDP (S)

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3  
संख्या-10/2023/आई/319051/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020  
तखनक: दिनांक 19 मई, 2023  
कायलिय-जाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक/पेशनरी/आदि को महुंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेशनरी/पारिवारिक/पेशनरी को महुंगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनदेश संख्या- 23/2022/आई/227018/2022/फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से महुंगाई राहत की दर 34 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत की गयी थी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्वतियों के अधीन निर्गत शासनदेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेशन/पारिवारिक पेशन पर भी राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 से महुंगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किरत दिये जाने की सहवृ स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेशनरी को अनुमन्य महुंगाई राहत में उपर्युक्त बढौतरी के फलस्वरूप पेशन पर अनुमन्य महुंगाई राहत की दर 38 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महुंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगोलित होगी, उसे नजरबंदज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगी, उनके संबंध में संशोधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवकों के पेशनरी/ पारिवारिक पेशनरी के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिधा/पारिवारिक शिधा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहवृता प्राप्ता शिधा संस्थाओं के ऐसे पेशनरी, जिन्हें शासकीय पेशनरी के समान पेशन/पारिवारिक पेशन अनुमन्य है, पर भी लागू होगी।

7- शासन के कायलिय-जाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महुंगेलाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कायलिय-जाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महुंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महुंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो दसरी संशोधित पूर्व शासनदेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव, वित्त

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हेस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनदेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।